

कैम्प बैग/स्पीड पोस्ट/विशेष संवाहक/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 437/ईसीआई/पत्र/प्रादे./उत्तर-1/पंजाब/2017

दिनांक: 14 फरवरी, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश,
शिमला।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
दिल्ली।

विषय: पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2017-ईवीएम का भण्डारण तथा सुरक्षा प्रबंध- तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, उद्धृत विषय पर दिनांक 06.02.2017, 13.02.2017 तथा 14.02.2017 की शिकायत की प्रत्येक की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग मे मत डाली गई ईवीएम की सुरक्षा के संबंध में आम आदमी पार्टी की उपर्युक्त शिकायतों पर विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि 66-गिल (अ.जा.), 109-नाभा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लुधियाना, पटियाला जिले मे पटियाला (ग्रामीण) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जालंधर एवं तरनतारन जिले में स्थित स्ट्रॉंग रूम का दौरा करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश, श्री नरेन्द्र चौहान, भा.प्र.से. तथा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, श्री राजेश कुमार के एक दल को पंजाब भेजा जाए। इस टीम को निदेश दिया जाता है कि वे आयोग के पत्र सं. 51/8/वीवीपीएटी/2015-ईएमएस दिनांक 5 मई, 2015 (प्रति संलग्न) में निहित अनुदेशों के अनुसार सुरक्षा प्रबंधों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें-

2. इसके अतिरिक्त आयोग निदेश देता है कि टीम इन जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित करेगी तथा उनके सरोकारों का ध्यान रखेगी कि इसे जिला प्रशासन द्वारा किस प्रकार सम्बोधित किया जा रहा है। वे उक्त जिलों के स्ट्रॉंग रूम में मतयुक्त ईवीएम की- सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी की रिकार्डिंग तथा इसके लिए रखी गई लॉग बुक भी देखेंगे।

3. यह टीम तत्काल जिलों में जाएगी एवं एएपी द्वारा दाखिल की गई उक्त 3 शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट विशेष रूप से आयोग को 17.02.2017 तक प्रस्तुत करेगी।

भवदीय,

(अविनाश कुमार)

सचिव

- प्रतिलिपि:-
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, चंडीगढ़ को सूचनार्थ (कैम्प बैग/ ई-मेल द्वारा)
 2. लुधियाना, पटियाला, जालंधर तथा तरनतारन जिलों के उप आयुक्त सह-जिला निर्वाचन अधिकारी। (कैम्प बैग/ई-मेल द्वारा)